महिला शिक्षा दिवस

वैदिक काल में स्त्री-पुरुषों की स्थिति में समानता थी
उस समय लड़कियों का भी उपनयन संस्कार होता था, आश्रम में लड़कों
के समान शिक्षा प्राप्त करती थी, लड़के लड़कियों की शिक्षा साथ साथ
होती थी। बालविवाह का प्रचलन नहीं था, विधवाएं अपनी इच्छानुसार
पुनर्विवाह कर सकती थी। स्त्रियों की रक्षा करना पुरुष का सबसे बड़ा
धर्म माना जाता था और अपमान करना पाप। उत्तर वैदिक काल में
मनुस्मृति में सर्वप्रथम स्त्रियों की स्वतंत्रता पर प्रतिबन्ध लगाया
गया। विधवा विवाह पर प्रतिबन्ध लगा। बाल्यावस्था में विवाह का
विधान किया गया। स्त्रियां परतन्त्र, निःसहाय एवं निर्बल मानी जाने
लगी। विधुरों का विवाह कन्याओं के साथ होने लगा। मनु ने स्वयं कहा
कि स्त्री कभी स्वतन्त्र रहने के योग्य नहीं है। बाल्यावस्था में पिता,
युवावस्था में पति और वृद्धावस्था में पुत्र के संरक्षण में रहना चाहिए
स्त्री को वस्तु के रूप में समझा जाने लगा। ~~पर्दा प्रथा प्रारम्भ~~ स्त्रियों पर अनेक प्रतिबन्ध भी
मुगल शासकों के काल में निर्योग्यताएं लाद दी गई। पर्दा प्रथा
लगा दिये गये, सुविधाओं से वंचित कर नहीं। 5, 6 वर्ष की अवस्था
प्रारम्भ हो गई। स्त्रियों को शिक्षा प्राप्त करने की सुविधा नहीं। विधवाओं को पुनर्विवाह का
कन्याओं का विवाह किया जाने लगा। बाध्य किया जाने लगा। बहुपत्नि
सुविधा नहीं रहा। सती होने के लिए बाध्य। धर्म के नाम पर शोषण प्रारम्भ हो गया। उन्हें
विवाह प्रचलित हो गया। ब्रिटिश काल में भी
चेतनाशून्य, निर्बल बना दिया गया। विशेष परिवर्तन नहीं आया। स्त्रियों की
निर्योग्यताओं में कोई प्रयत्न नहीं किया गया। शिक्षा की
स्थिति सुधारने की दृष्टि से कोई प्रयत्न नहीं। स्वतन्त्रता पूर्व हमारे देश में स्त्रियों की साक्षरता
सुविधा नहीं था। स्त्रियों का मुख्य कार्य सन्तानोत्पत्ति एवं
6 प्रतिशत से भी कम थी। विवाह विच्छेद की सुविधा नहीं होने
परिवारजनों की सेवा करना था। होने पर भी पति का साथ
से पति के दुश्चरित्र, क्रूर और अत्याचारी आर्थिक कार्य करना अनुचित व अनैतिक
निभाना पड़ता था। स्त्री के द्वारा निम्नकोटि की समझी जाती थी। दहेज प्रथा
समझा जाता था। कुलीनता लड़कियों को अनैतिक कार्य
एक गम्भीर समस्या बन गई। स्त्रियों व निम्न वर्गों की स्त्रियों का जीवन
बढ़ गया। साक्षरता का प्रतिशत गिरता गया। दलित एवं 19वीं सदी में उपजे व्यापक
इसी स्थिति में उन्नीसवीं सदी में अनेक सुधार संगठनों
तो प्रतिक्रिया स्वरूप जागरण बढ़ गया। एवं स्थानीय सुधार सामने आए। राजा
धर्म एवं समाज सुधार आन्दोलनों के परिणाम महादेव गोविन्द रानाडे, एनी बेसेंट
सुधारकों के संगठित को सकारात्मक में ज्योतिबा फुले
राममोहन राय, ईश्वर चन्द्र विद्यासागर, स्त्री शिक्षा के क्षेत्र में योगदान रहा
की भूमिका प्रमुख रही तो केशवचन्द्र सेन का विशेष
राजगोपाल घोष,

परिवर्तन के इस काल में एवं इतिहास लेखन में महिलाओं का योगदान भी प्रमुख रहा जिसमें सर्वप्रथम दलित पिछड़ी महिला सावित्री बाई फुले देश की प्रथम अध्यापिका बनने का सौभाग्य मिला।

महाराष्ट्र के सतारा जिलें एक फौजी के घर जन्मी सावित्री का विवाह ज्योतिबा फुले के साथ मात्र 9 साल की उम्र में हुआ। पति की प्रेरणा से 9 सालकी उम्र में पढ़ना शुरू किया। उस समय अंग्रेजों द्वारा संचालित स्कूलों में भी दलितों और लड़कियों को पढ़ने नहीं दिया जाता था। सावित्री बाई के साथ मिलकर ज्योतिबा फुले ने 1 जनवरी 1848 को पूना में एक स्कूल खोला। सावित्री बाई वहां पढ़ाने जाती। रास्ते में लोग उन्हें गन्दी गालियां देते, पत्थर, गोबर व कीचड़ तक फेंकते पर सावित्रीबाई निडर होकर गांव गांव में औरतों की शिक्षा का संदेश पहुंचाती रहीं। उन्होंने अंधविश्वास और समाज में फैली इन्हीं कुरीतियों का भी विरोध किया। औरतों के मान सम्मान के लिए काम करती रहीं। यह स्कूल भारत में लड़कियों के लिए खोला गया पहला स्कूल था और सावित्री प्रथम प्रधानाध्यापिका। उस दौर में जब पढ़ी लिखी महिलाएं एवं लड़कियां नहीं थी और जो थी उन्हें पढ़ाने नहीं दिया जाता था। ऐसे समय उन्होंने स्कूल पढ़ाना प्रारम्भ किया। उन्होंने महाराष्ट्र में ज्योतिबा के साथ मिलकर 18 स्कूल खोले। महाराष्ट्र में 1848 से 1852 तक इतने स्कूलों का खोला जाना अपने आप में एक कीर्तिमान था। उन्होंने सामाजिक बुराईयों का भी विरोध किया। बालविवाह, बालहत्या, सतीप्रथा, विधवाओं का मुंडन आदि पर जोरदार प्रहार किया। ऊंच-नीच पाखंड और पुनर्विवाह का कड़ा विरोध किया। इनका विरोध करने के लिए महिलाओं को घर घर जाकर महिलाओं को प्रेरित किया गया। परन्तु वे माता पिताओं से अपनी लड़कियों को शिक्षा का महत्व बतलाती। वे माता पिताओं से अनुरोध करती थी और उनके लड़कियों को स्कूल में पढ़ने के लिए भेजने का। शिक्षा बिना जीवन में अंधकार दिमाग में बैठाती थी कि लड़कियों को समाज सेविका ही रही. उन्होंने बहुत सी पुस्तकें लिखी, वे समाज सेविका थी। उनके कोई संतान नहीं थी। उन्होंने बहुत सी पुस्तकें लिखी। वे कुशल अध्यापिका थी। कवियत्री तथा एक कुशल समय है। उन्होंने एक बच्चे को गोद लिया, उसे पढ़ाया-लिखाया और उसे डाक्टर बनाया। सन 1897 में फैले प्लेग के समय उन्होंने और उनके दत्तक पुत्र यशवंत ने लोगों का इलाज किया रोगियों की सेवा की। उनका इरादा निरक्षरता के विरुद्ध निर्णायक युद्ध लड़ने का रहा। उनका वांछित लक्ष्य रहा, हर एक दलित, पिछड़ा व महिलाओं, मजदूरों, कृषकों को पढ़ना लिखना सिखाना।

अक्षयतृतीया 13 मई

डा० सत्यनारायण सिंह
IAS (R)

~~बालिका~~/ महिला सशक्तीकरण से ही बाल विवाह पर नियंत्रण ~~[illegible]~~

वास्तविकता यह है कि राजस्थान के ग्रामीण क्षेत्रों में महिलाओं की औसत विवाह
आयु निसंदेह ~~[illegible]~~ कम है। प्रतिवर्ष आखातीज, पीपल पूर्णमा आदि
अवसरों पर बालविवाहों की, कहीं खुले में कहीं छुपकर, व्यापक घटनाएं,
हमारे सामाजिक संगठन व नेताओं, जनप्रतिनिधियों, प्रशासन व पुलिस
की निष्क्रियता व उदासीनता के कारण, कानून, सरकारी फरमानों व
घोषणाओं का मखौल उड़ाती हैं। अनेक परिवारों में लड़कियों की शादी
कहीं सुरक्षा के लिए, कहीं विवाह खर्च, दहेज से बचाव के लिए, कहीं लड़कियों
को अधिक शिक्षा देने की अरुचि के कारण जल्दी की जाती है। बाल विवाह
का अधिक दुष्प्रभाव लड़के की स्वतन्त्रता और व्यक्तित्व पर नहीं
पड़ता, अधिक दुष्परिणाम लड़कियों को ही भुगतने पड़ते हैं।
अतः ग्रामीण समाज में लड़कियों के विकास के लिए साक्षरता के प्रसार
की अत्यन्त आवश्यकता है। ग्रामीणों में यह मानसिकता विकसित
करना आवश्यक है कि शिक्षित लड़कियां परिवार की सुरक्षा, कल्याण
सुख शांति व समृद्धि के लिए भावी पीढ़ी व ग्रामीण परिवेश को
बदल सकती हैं।

लोकप्रिय एवं जनहितैषी मुख्यमंत्री अशोक गहलोत
ने महिलाओं, बालिकाओं के विकास और सशक्तिकरण के महत्व को
समझकर प्रति प्रतिबद्धता दिखाई। सरकार द्वारा बालिकाओं के विकास
उनकी सुरक्षा, संरक्षण, पुनर्स्थापन के लिए दृढ़ इच्छाशक्ति
के साथ कदम उठाये। शादियों का पंजीकरण, सामूहिक विवाहों
को प्रोत्साहन ने बाल विवाह, बेमेल विवाह, फिजूल खर्ची, दहेज पर रोक लगाई है।
रोकने ~~[illegible]~~। महिलाओं और बालिकाओं को शोषण व
उत्पीड़न से बचाने, घरेलू हिंसा से बचाने, सम्बल प्रदान करने
प्रशिक्षण संस्थाओं, बी.एड. आदि पाठ्यक्रमों में प्रवेश दिलाने,
फीस का पुनर्भरण करने, बी.पी.एल. महिलाओं को पुत्रियों के
विवाह हेतु अनुदान देने, स्वयं सहायता समूहों के लिए रोजगार
ऋण उपलब्ध कराने, बेटी बचाओ अभियान एवं सघन प्रचार
प्रारम्भ करने की सफल एवं हितकारी कार्यक्रम प्रारम्भ किये हैं।
ज्योति योजना, जनजाति छात्राओं को मुफ्त
स्कूटी, छात्राओं को साईकिल वितरण, उच्च शिक्षा छात्रवृत्ति

और सहायता, किशोरी बालिकाओं के सर्वांगीण विकास
हेतु प्रत्येक खण्ड में एक-एक बालिका मण्डल का गठन,
राजीव गाँधी किशोरी बालिका (सबला) योजना के अन्तर्गत
मिड-डे मील, हल्वा प्रीमिक्स व उपमा प्रीमिक्स, कटिंग, टेलरिंग
तथा ड्रेस मेकिंग के 6 माह का व्यवसायिक प्रशिक्षण, बालिकाओं
में ब्यूटी कल्चर प्रशिक्षण, विशेष पिछड़ावर्ग की छात्राओं को
स्कूटी वितरण, प्रोत्साहन योजना, छात्रावास निर्माण, महिला
पॉलिटेक्निक, निर्मल भारत योजना से निजता एवं स्नान
सुविधा, समान पारिश्रमिक अधिनियम, रक्षाबंधन व
महिला दिवस पर विशेष सुविधायें, विधवा पेंशन, शहीद
के आश्रितों छात्राओं के लिए छात्रावास व ट्रेनिंग, कम्प्यूटर
ट्रेनिंग, बालिकाओं को खेलकूद का गहन प्रशिक्षण, इससे उनकी सामाजिक स्थिति में बदलाव आया है।
प्रशिक्षण के साथ सभी आवश्यक सुविधायें, पारितोषिक, स्त्रियों
को अचल सम्पत्ति स्थानान्तरण में विशेष छूट, बालगृह में
प्रवासियों को मैस भत्ता, पृथक से बाल निदेशालय, व
अल्पसंख्यक वर्ग की बालिकाओं को महाविद्यालय में प्रवेश
अच्छे अंकों से परीक्षा उत्तीर्ण करने पर
लेने पर विशेष सुविधा, विदेश में शिक्षा की सहूलियत से
स्कॉलरशिप व उच्च शिक्षा, बच्चों में नवीन चेतना जागृत होगी। ग्रामजन
बालिकाओं में शिक्षा, उनके दृष्टिकोण में अन्तर
लड़की को भार नहीं समझेंगे और उच्च शिक्षा, सरकारी व अन्य
आयेगा। यदि बालिकाओं को उच्च शिक्षा मिला तो उनका सशक्तिकरण होगा।
व्यवसायिक संस्थाओं में प्रतिस्पर्धात्मक सेवा मिलने लगेगी।
समाज में व्याप्त कुरीतियां स्वतः मिटने लगेगी।
सामूहिक विवाह योजना में वधू को देय पहनावा 500
रुपये को बढ़ाकर 10,000 व आयोजकों को 2000, प्रतिजोड़ी
आंगन केन्द्रों में 2-2 जोड़ी यूनिफार्म, स्वयं सहायता समूहों को
10-10 हजार रुपये का अनुदान, शुभलक्ष्मी योजना, मानदेय में वृद्धि से समाज
सहयोगिनियों, सहायिका के मासिक आर्थिक स्थिति में सुधार होगा।
में बालिकाओं और महिलाओं की शैक्षणिक, सामाजिक, आर्थिक रूप से सशक्त होने पर उनका
सशक्तिकरण होगा व लड़की माँ बाप को बोझ लगने की
बजाय पराया धन लगने की बजाय वरदान साबित होने लगेगी।
इस प्रकार का सशक्तिकरण निःसंदेह बालिकाओं के प्रति
दृष्टिकोण में बदलाव लायेगा व बालविवाह पर रोक लगेगी।

— 3

बाल विवाह की परंपरा उसी सामाजिक व्यवस्था की देन है जहां लडकियां घर-बार के होते हुए भी असुरक्षित बनी रहती हैं। विवाह के उपरांत लडकी के लिए पढना-लिखना तथा स्वयं का विकास करना ये सभी उद्देश्य गौण रह जाते हैं। नगरीय परिवेश से प्रभावित लडके बाल विवाह की पत्नि को त्यागकर दूसरा विवाह कर लेते हैं। बाल विवाह लडकियों की मानसिक अवस्था के साथ शारीरिक अवस्था के लिए भी हानिकारक है। लडकियों के जीवन में विवाह के दिन से प्रतिबंध लगने लगते हैं। बाल विवाह के कारण ही स्त्रियों व पुरुषों के मध्य साक्षरता के आंकडों में व्यापक अंतराल बना हुआ है। बालिकाओं के विकास पर नकारात्मक प्रभाव पडता है। पढाई लिखाई से सम्बन्धित श्रेष्ठ प्रतिभा का प्रदर्शन करने पर भी उन्हें कोई दायित्वपूर्ण कार्य के योग्य नहीं माना जाता। असुरक्षित महसूस करने से स्वाधीन व्यक्तित्व के विकास और निर्णय लेने की क्षमता में बाधा पहुंचती है। सुविधा, सुअवसर और साधनों के कारण पुरुषों में कैसे विकास और सफलता की गारन्टी मिल सकती है। सच्चाई यह है कि जीवन के जिस क्षेत्र में उन्हें अवसर मिला है वे लडको की अपेक्षा अधिक मेहनत से काम करती है, काम के प्रति उनकी ईमानदारी निरन्तर रहती है इसलिए अधिकांश पुरुष राजनेता देश की सर्वोच्च विधायिका में महिला आरक्षण के विरोध में लामबंद होते रहते हैं।

बाल विवाह बालक मन का विकास अवरुद्ध कर समाज में जडता बढाता है, बहुविवाह, एकाकी जीवन के खतरे को बढाता है। भारतीय समाज में स्त्री को आध्यात्मिक और नैतिक दृष्टियों से पुरुष के समकक्ष माना है लेकिन स्त्री का जितना ह्रास हुआ है किसी कालान्तर में इस विवाह से स्त्री का जितना ... अबोध बालकों को भी अन्य कोई नहीं। मध्ययुगीन समाज ने अबोध बालकों को भी शादी ब्याह के बंधन में बांधने का सिलसिला शुरू कर दिया 1929 में पारित बालविवाह प्रतिरोध अधिनियम में दण्डनीय अपराध होने के बावजूद कुप्रथा का उन्मूलन नहीं हो सका। जब तक समाज की कुरीतियों का जमकर विरोध नहीं करेंगे जब तक सामाजिक दण्डात्मक कार्यवाही नहीं होगी यह सामाजिक कुरीती समाप्त नहीं होगी। सच्चाई यह है कि पढाई के जरिए ईमानदार जागरूक समाज का निर्माण होना चाहिए तभी ऐसी कुरीतियां व बुराईयां समाप्त होंगी।

डा. [illegible] सिंह

~~अधि~~ महिला अधिकारिता (1)

संविधान में महिलाओं को समान अधिकार के साथ सरकार को, विशेषकर महिलाओं के पक्ष में, सकारात्मक एवं हितकर भेदभाव का अधिकार प्रदान करता है। पिछले दो दशकों में महिलाओं को आर्थिक अधिकार संपन्न करने के उपाय किये गये हैं। साक्षरता शिक्षा, स्वास्थ्य सेवायें, स्वरोजगार व राजनैतिक प्रतिनिधित्व तथा गरिमापूर्ण जीवन का सुअवसर देने के प्रयास हुए हैं। अब समान वेतन के साथ विकास के अवसर भी मिल रहे हैं। घरेलू हिंसा तथा सामाजिक भेदभाव कम करने के लिए कानूनी व सामाजिक प्रयास प्रारम्भ हो चुके हैं। स्व सहायता समूह द्वारा ऋण सुविधा देकर कारोबार प्रारम्भ करने के लिए मदद दी जा रही है। संविधान के अनुरूप सरकारी नीतियों से ऐसा माहौल बन रहा है जिसमें प्रत्येक क्षेत्र में महिलाएं सम्मान एवं गरिमा के साथ राष्ट्र निर्माण में अपनी महत्वपूर्ण भूमिका निभा सकें।

परन्तु आज भी महिलाओं और बालिकाओं के प्रति समाज का रवैया, बर्ताव, सम्बन्ध व दृष्टिकोण नहीं बदला है। ग्रामीण क्षेत्रों में स्थिति बदतर है। आज भी हमारे देश में बहुत बड़ी तादाद में बाल-विवाह, कन्या भ्रूण हत्या, कन्या शिशु हत्या, दहेज हत्या एवं अत्याचार, भेदभाव व सामाजिक बुराईयां व्याप्त हैं। जब एक युवती के पढ़ने, सीखने, निपुण बनने व अधिकारों के प्रति सचेत होकर आगे बढ़ने का अवसर आता है, उसको विवाह बन्धन में बांधकर अथवा पढ़ाई छुड़ाकर आज भी हम सामाजिक धार्मिक रस्म पूरा करते हैं व बन्धन में बांधकर शिक्षित व योग्य नागरिक बनने से वंचित कर देते हैं।

अब सरकार महिला कल्याण से उपर उठकर

महिला विकास एवं सशक्तिकरण की ओर बढ़ रही है। पांचवी योजना के बाद महिलाओं के विकास से जुड़े विषयों पर जोर दिया जाने लगा और पिछले कुछ समय में व्यापक नीतिगत समर्थन मिल रहा है। यह सुखद बदलाव है।

महात्मा गाँधी ने कहा था "महिलाओं और पुरुषों की स्थिति एक समान है परन्तु एक जैसी नहीं। ये एक दूसरे के पूरक युगल हैं जो एक-दूसरे की सहायता करते हैं। एक के बिना दूसरे के अस्तित्व की कल्पना भी नहीं की जा सकती। इन तथ्यों की तार्किक परिणति यह है कि ऐसी कोई भी वस्तु जो दोनों में से किसी एक की स्थिति को कष्ट पहुंचाती है दोनों को ही समान रूप से नष्ट करेगी।"

राष्ट्रपति प्रतिभा पाटिल ने स्पष्ट कहा है "कि हमारी पूरी क्षमता का उपयोग तभी संभव है जब महिलाएं, जो हमारी आबादी का आधा भाग हैं, अपनी पूरी क्षमता का विकास व उपयोग कर सकें। यदि ऐसा नहीं होता, आधा हिस्सा तो बरबाद होगा ही समाज की प्रगति रुक जायेगी।" शक्ति संपन्न महिलायें विकास के साथ-साथ गरीबी उन्मूलन के लिए सबसे कारगर हथियार हैं। शिक्षित होने और अवसर प्राप्त करने पर महिलाओं ने यह साबित किया है कि वे अपने पेशे और कैरियर में ऊंचाईयां हासिल कर सकती हैं। शिक्षित और जागरूक महिलाएं अपने परिवार की [illegible] के साथ, सामाजिक बुराईयां दूर कर राष्ट्र को प्रगतिशील बना सकती हैं। इसलिए बालिकाओं को शारीरिक रूप से मजबूत और आत्मविश्वास से भरा बनाने के लिए आवश्यक शिक्षण प्रशिक्षण की व्यवस्था आवश्यक है।

महिलाओं के विरुद्ध बढ़ते अपराध, छेड़छाड़, यौन दुर्व्यवहार, तस्करी, शोषण, मजदूरी (बन्धुआ) की रोकथाम होना अनिवार्य है। 2005-06 के केन्द्रीय बजट आवंटन में स्त्री पुरुष समानता की संवेदनशीलता को उजागर करने वाली 10 अनुदान मांगे थी। परन्तु अब आवश्यक है कि

लोगों को जागरूक बनाया जाना चाहिए। लिंग परक प्रावधानों
के दो आयाम है समानता और कार्यकुशलता।

महिलाओं की शिक्षा व प्रगति के लिए आजादी के बाद
अनेक आयोग बने जिन्होंने बालिका शिक्षा, उच्च शिक्षा, विशेष
विद्यालयों की स्थापना, सहशिक्षा, स्वयंसेवा विस्तार हेतु गतिशील प्रबन्धकीय
ढांचा निर्माण करने, आवासीय विद्यालय स्थापित करने व
असमानता निराकरण सम्बन्धी सुझाव दिये, उनमें से अनेकों
का क्रियान्वयन भी हुआ है परन्तु नीतियों का केन्द्रबिन्दु बनाकर
महिलाओं में विशेषकर ग्रामीण महिलाओं में पूर्णतया आत्मविश्वास
जागृत नहीं किया जा सका। महिला अधिकारिता में वृद्धि हुई है।
सशक्त समाज ही देश को तेजी से आगे ले जा सकता है। इस कारण
कानूनों में भी बदलाव आया परन्तु विवाह के प्रति दृष्टिकोण
विवाह की आयु, जनन क्षमता की दर, बच्चे का लिंग, पारिवारिक
संगठन, परिवार में महिला का स्थान, सामाजिक मान्यतायें
अभी पूरी तरह नहीं बदली। बालिकाओं को पुरानी प्रथाओं
व देह व्यापार में धकेलने वाले संगठित गिरोहों व अपराधियों
पर रोक नहीं लग पाई। राष्ट्रीय मानव अधिकार आयोग, राष्ट्रीय
महिला आयोग, पृथक महिला व बाल विकास मंत्रालय व
संगठनों ने सख्त कानून बनाने की दिशा में पहल की परन्तु
अवैध व्यापार, अत्याचार व उनके प्रति हिंसा व अपराध में पूरी
तरह कमी नहीं आई। वेश्यावृत्ति निवारण कानून में संशोधन
हुए परन्तु कानूनी नजरिया व दायरा नहीं बदला॥
सौभाग्य से अब एक मौन क्रांति साकार हो रही है,
शक्तिहीन का सशक्तिकरण हो रहा है। शहरों में तो असर
दिखाई भी देने लगा है। स्व. राजीव गांधी ने स्वायत्तशासी संस्थाओं
व पंचायतराज संस्थाओं में आरक्षण प्रारम्भ किया।
राजस्थान के मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने उसका दायरा
बढ़ाकर अनेक हितकारी योजनायें और परियोजनायें
प्रारम्भ की है। अब पार्लियामेंट व असेम्बली में
महिला आरक्षण की सर्वसम्मति से कवायद चल रही है
केबिनेट स्वीकृति दे चुकी है और सदन से सदन की
रंग लगने की पूरी उम्मीद है। आशा है अब और ... महिला आरक्षण.

अत्याचार समाप्त होंगे, महिलायें आधुनिक भारत का भविष्य बनाने में बराबर की भागेदार होंगी, महिलायें आत्मनिर्भरता की ओर तेजी से अग्रसर होंगी, विभिन्न क्षेत्रों में कीर्तिमान कायम करेंगी, सम्मानित होंगी, न्याय और पारदर्शिता का हथियार साबित होंगी। महिला सशक्तिकरण से उत्साहवर्धक परिणाम सामने आयेंगे। स्त्री पुरुष समानता कायम होगी। आर्थिक सशक्तिकरण नीति निर्माण में भागेदारी से राष्ट्र विकसित होगा।

(2) ~~यह महत्त्व~~ है/आज महिलाओं के लिए असीमित अवसर है, पुरुषों से कदम मिलाकर प्रगति की ओर अग्रसर हो सकती हैं। महिलाओं को सशक्त करके विकास की कई विसंगतियां दूर की जा सकती है, विकास की बेहतर समझ के अनुरूप उनकी प्रगति आवश्यक है। (2)

सामाजिक कुरीतियां महिला सशक्तिकरण में बाधक है। महिलाओं द्वारा स्वयं के शरीर पर, मुनाफे पर, आय, आमदनी, संपत्ति व संसाधनों पर नियंत्रण से ही सशक्तिकरण होगा। सामाजिक राजनैतिक सार्वजनिक जीवन में प्रतिनिधित्व, उनकी दक्षता में अभिवृद्धि, कार्यस्थल और घर पर उनके साथ किये जाने वाले दुर्व्यवहार पर रोक तथा सामाजिक सुरक्षा आवश्यक है।

उनकी

महिलाओं को राजनीतिक क्षेत्र में प्रतिनिधित्व देने हेतु 73वें व 74वें संविधान संशोधन किया गया। मौलिक अधिकार के अनुच्छेद 15 व 16 तथा राज्य के नीति निदेशक सिद्धान्तों के अनुच्छेद 38 व 39 के तहत केवल लैंगिक आधार पर भेदभाव का निषेध किया गया है। अनुच्छेद 42 के अन्तर्गत राज्य को काम की न्यायसंगत और मानवोचित दशा तथा प्रसूति सहायता के उपबंध का निर्देश दिया गया है। इसी प्रकार 39 घ पुरुषों व स्त्रियों दोनों को समान काम के लिए समान वेतन की व्यवस्था करता है। B

महिलाओं ने कार्यक्षेत्र की दिशा में प्रकाश मिलने पर पुरुषों से पीछे नहीं रहीं। चिकित्सा, शिक्षा, राजनीति, कूटनीति, खेलकूद, अन्तरिक्ष, प्रौद्योगिकी, विज्ञान, प्रशासन, पुलिस, सैन्य बल आदि सभी क्षेत्रों में महिलाओं ने अपनी श्रेष्ठता साबित किया है। परन्तु कई उपलब्धियों के बावजूद इस समाज में कई मान्यताएं एवं प्रवृत्तियाँ कायम हैं। समाज में लड़कियों का जन्म होते ही अशुभ माना जाता है, जिनके अनुरूप लड़कियों के पैदा होते ही मार दिया जाता है, लिंग अनुपात जैसे वैज्ञानिक ... बालिका भ्रूण हत्या, दहेज, बाल विवाह, छोटी उम्र में सामाजिक कुरीतियां नारी के प्रभाव से F (1)

3

③ F. ③

महिलाएं सामाजिक, शारीरिक, एवं मानसिक दृष्टि से कमजोर रहती हैं, गृहस्थी के संचालन में उत्तरदायित्व की शिक्षा व विकास से भी वंचित करती हैं

महिलाओं के विरुद्ध अत्याचार के उपाय

महिलाओं के साथ होनेवाले दुर्व्यवहार अत्याचार के उन्मूलन के उद्देश्य से कानूनी प्रावधानों की आवश्यकता है। गृहस्थ की पुरुषों की ... महिलाओं का ... महिलाओं को ... है। महिलाओं को ... प्रशिक्षण का उपयोग ... एवं ... महिला ... महिलाओं को ... प्रशिक्षा की पूर्ति है कि महिलाओं ने ... प्रचार, प्रसार ... समान प्रशिक्षण की आवश्यकता है। महिलाओं को ... होगा। उच्च ... विकास से ... चाहिए। सामाजिक कुरीतियों ... महिलाओं ... होगा। महिलाओं के विरुद्ध होने वाले ... प्रयासों की ... पुलिस प्रशासन को उत्तरदायित्व ... की आवश्यकता है।

Government of Rajasthan

Directorate of Economics & Statistics

BIRTH CERTIFICATE

(Issued under Section 12/17 of the Registration of Births and Deaths Act,1969 and Rule 8/13 of the Rajasthan Registration of Births and Deaths Rules, 2000)

This Certificate is Electronically Signed By